[illegible] रूप से इन्होंने अवसर दिए जा चुके है।
प्रकरण मे विपक्षी स. 1, 2, 3, 4, का जवाब प्रा. पत्र
पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है पत्रावली
वास्ते बहस प्रा. पत्र मे दिनांक 19.12.23 को पेश
हो।

19.12.23 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते
आदेश मे दिनांक 22.12.24 को पेश हो।

22.12.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे
पूर्व मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई
वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से
निवेदन किया है कि मौजा नया गाँव प. ह. चेयी की
खाता स. 138 की आ. स. 382/363, 438/363 कुल
रकबा 1.7800 हे. भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग
उपभोग मे है। जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी स. 1 की सामलाती
कृषि आराजीयात है। जो प्रार्थीगण के पिता देवाजी की
सम्पत्ति थी। देवाजी की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि हम
प्रार्थीगण व एवं प्रार्थीगण के भाई देवा भील के नाम
विरासत से दर्ज हुई। जिसे परिवार की सहमति के
बिना उक्त कृषि आराजी विपक्षी स. 1 को विक्रय कर दी
लेकिन विपक्षी स. 1 का मौके पर कब्जा नही है। उक्त
भूमि पुश्तैनी है जो बिना विभाजन कराये प्रवेश कराने
का अधिकार नही है। अत: प्रा. पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण
को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर मौजा नया
गाँव प. ह. की आराजी स. 382/363, 438/363 कुल
किता-2 कुल रकबा 1.7800 हे. भूमि [illegible] विभाजन
करवाये किसी प्रकार की [illegible] प्रार्थीगण [illegible]
अपने किसी अन्य रिश्तेदार [illegible] करावे
का निवेदन किया गया है। पत्रावली मे वकील प्रार्थी की
एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:17 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|
| प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सवत 2078 मे खाता स. 138 आ. स. 382/363, 438/363 कुल किता -2. कुल रकबा 1.7800 है. भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है। वकील प्रार्थी की बहस से हम पूर्णतय सहमत है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। ओर आदेश दिया जाता है कि मौजा नया गाँव प. ह. चेची के खाता स. 138 आराजी स. 382/363, 438/363 कुल किता -2 कुल रकबा 1.7800 है. भूमि मे विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें न ही अपने किसी अन्य रिश्तेदार नोकर एजेन्ट आदी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:17 IST
Reason: SelfAttested